संख्या- 257/2016/2111/69-1-16-3(आसरा-83)/2016

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक :23 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2910/214/छः/विविध/आसरा/तकनीकी (पीलीभीती-इनसीटू-154) दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट धनराशि से जनपद-पीलीभीत की निकाय-पीलीभीत के वार्ड नं 18सी, 18डी, 24, 24बी, 24सी एवं 27 में 154 इन-सीटू आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के लिए 03 इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना हेतु रू0 16.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 8.12 लाख (रूपये आठ लाख बारह हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत धनराशि (सेन्टेज चार्जेज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	पीलीभीत/ पीलीभीत	154	833.44	03	16.24	8.12
योग				03	16.24	8.12

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर,2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पात्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा तथा निदेशक, सूडा का होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।

6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

9. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

-3/

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति के लिए ही किया जायेगा।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-00-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-85/2016/2111(1)/69-1-16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, पीलीभीत।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।